नीतियों के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के साथ-साथ होगा। राज्य सह्यता और पुनर्वास उपायों का शीघ्र एवं उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

इसके पश्चात नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 13 नवम्बर, 1996 को आयोजित 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बांध की प्रत्येक 5 मीटर ऊंचाई की समीक्षा सहित 81.5 मी० ऊंचाई स्तर (ई एल) पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एण्ड आर) उपायोग के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के निर्धारण के साथ वर्ष 1996-97 में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई सिलवे भाग में ऊंचाई स्तर (ई एल) 110 मी० तक बढ़ाई जाए ताकि निर्माण कार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वयन के साथ-साथ हो सके।

सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के बीच अन्तर

3354. **श्री नागमणि: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अंतर को समाप्त करने हेतु व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात 1996-97) के अंत तक देश में सृजित और संयुक्त सिंचाई क्षमता और इन दोनों के बीच के अंतर का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग के बीच अंतर को कम करने के लिए वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) कार्यान्वयनाधीन है। इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 218 परियोजनाएं हैं जिसमें 21.78 मिलि० हैक्टे० का कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) 23 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है। सृजित सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिन मुख्य क्रियाकलापों को प्रारंभ किया गया है उसमें (i) प्रत्येक निकास के कमान के अंतर्गत खेत चैनलों एवं खेत जल निकासों का विकास (ii) भूमि समतलन और उनको आकार देना (iii) अलग अलग खेतों में जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बाराबंदी लागू करना (iv) विस्तार सेवाओं का सुदृढ़करण (v) ड्रिप और स्प्रिंक्लर प्रणालियों को बढ़ावा देने पर जोर देना (vi) सिंचाई जल प्रबंधन आदि में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता और दोनों के बीच अंतर का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)		
		सृजित	प्रयुक्त	अंतर (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	5948.97	5570.96	378.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	83.42	65.54	17.88
3.	असम	789.43	622.62	166.81
4.	बिहार	7910.74	6897.09	1012.84
5.	गोवा	33.54	29.84	3.7
6.	गुजरात	3285.3	3039.62	245.68
7.	हरियाणा	3655.56	3365.24	290.32
8.	हिमाचल प्रदेश	160.93	134.01	26.92

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	जम्मू और कश्मीर	552.38	512.21	40.17
10.	कर्नाटक	3197.03	2960.41	236.62
11.	केरल	1086.43	1001.8	84.63
12.	मध्य प्रदेश	4835.82	3973.32	862.5
13.	महाराष्ट्र	4932.2	3628.8	1303.4
14.	मणिपुर	123.39	103.19	20.20
15.	मेघालय	46.64	40.33	6.31
16.	मिजोरम	12.71	11.02	1.51
17.	नागालैंड	67.24	57.93	9.31
18.	उड़ीसा	2915.22	2669.71	245.51
19.	पंजाब	5867.02	5748.46	118.56
20.	राजस्थान	4706.81	4423.09	283.72
21.	सिक्किम	26.23	20.59	5.64
22.	तमिलनाडु	3660.73	3656.85	3.88
23.	त्रिपुरा	94.88	86.33	8.55
24.	उत्तर प्रदेश	306.54	280.49	26.05
25.	पश्चिम बंगाल	4661.45	3909.42	752.03
	कुल राज्य	89308.07	80578.37	8729.7
	कुल संघ शासित क्षेत्र	130.37	113.32	17.05
	कुल योग	89438.44	80691.69	8746.75

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं।

National Water Use Policy

3355. SHRI NILOTPAL BASU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that neither is water regarded as a resource for economic development nor is the community ownership of water resources;

(b) whether it is also a fact that there is no comprehensive policy for using the surface and ground water resources;

(c) if so, whether Government will consider evolving a national water use policy;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (e) The National Water Policy adopted by the Government in 1987 has recognised 'Water' as a prime natural resource, a basic human need and a precious national asset. It has also recognised 'Water' as one of the most crucial elements in developmental planning. The said National Water Policy emphasises integrated development of surface and ground water resources and deals with the aspects of Information System, Maximising availability, Project Planning, Maintenance and modernisation, Safety of structures, Ground Water development, Water allocation priorities, Drinking Water, Irrigation, Water rates, Participation of farmers and voluntary